न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना

(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल, (विक्रेता,मालिक) निवासी–नागौरिया मन्दिर के पास, डीडवाना जिला नागौर।
   फर्मः–विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास,डीडवाना जिला नागौर।
2. श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह (मालिक,निर्माताफर्म)
   निवासीः–68–A गणेश नगर प्रथम, बालाजी कॉलेज के पास, बैनाड रोड हरमाडा, अखेपुरा जयपुर। 302013
   फर्म–श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्टस P.NO.21, 21-A, KRISHNA VIHAR-5 ROAD NO. 18 AKERA DUNGAR JAIPUR -302012

प्रकरण संख्याः–40/2021

'' अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम'

उपस्थितिः–

1. प्रतिवादी नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द जाति अग्रवाल।
2. प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह ।
3. श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांकः–22.02.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.11.2020 को समय 11:50 ए.एम. पर फर्म विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता मालिक के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी–नागौरिया मन्दिर के पास, डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी, तेल, वनस्पति आदि पदार्थ विक्रय हेतु रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के 500–500 ml वाले 30 पैकेट गता कार्टूनों में आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं.–5ए पर दर्शायेनुसार जानकारी अंकित थी,मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि ये वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम को मैसर्स श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, जयपुर से खरीदने का बिल नं.2522 दिनांक 10.11.20 को प्रस्तुत किया। बिल की छाया प्रति व फार्म 5–ए की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के 4 पैकेट मूल ही सील्ड अवस्था में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को उनके बताये अनुसार 300/–रू (अक्षरे तीन सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा चारों वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम की 500–500 ml वाले पैकेटों के लिए विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर लेबल पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीदशुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के चारों

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1444 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नटवरलाल अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर फार्म नं. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द (दितीय व तृतीय भाग) नमूना पैकेट मय फार्म नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, जयपुर को फार्म न.5ए व फर्म का बिल/वेट इनवोईस की छायाप्रति भिजवाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्रांक 5794 दिनांक 02.12.2020 को प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 26–27 दिनांक 04.01.2020 के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

द्वारा सलंग्न खाद्य पदार्थ वनस्पति (मधूश्री) की जांच रिपोर्ट संख्या LS/642/Act/2020/284 दिनांक 02.12.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नटवरलाल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना Q–1444 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत **''SUBSTANDARD AND MISBRAND''**होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति मैसर्स विनायक ट्रेडिग कम्पनी, डीडवाना के मालिक एवं विक्रेता को अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 26–27 दिनांक 04.01.2021 को प्रेषित किया। अगेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की छायाप्रति मैसर्स श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, जयपुर को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक के विश्लेषण के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 10–11 दिनांक 04.01.2021 को प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई जो कि मय रजिस्ट्री की मूल रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, जयपुर को फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्रांक 299 दिनांक 09.02.2021 प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है। मैसर्स श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्ट, जयपुर से फर्म मालिक श्री जितेन्द्रसिंह के आधार कार्ड,पैन कार्ड, जी.एस.टी. सर्टिफिकेट, केन्द्रीय खाद्य लाईसेंस की छाया प्रतियां प्राप्त हुई जो कि मय लिफापा न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4)खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता नटवरलाल अग्रवाल व जितेन्द्र सिंह ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

(5)अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जॉच रिपोर्ट की छायाप्रति फर्म –श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडेक्टस 21/21ए, कृष्णा विहार 5, आकेड़ा डूंगर रोड़ नं. 18 बीकेआई

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

एरिया– जयपुर को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक के विश्लेषण के निष्कर्षो के विरूद्ध अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 10–11 दिनांक 04.01.2021 को प्रेषित किया जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी दी गई जो कि मय रजिस्ट्री की मूल रसीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्ट्रेण्ड व मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्ट्रेण्ड व मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(6)प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 14.07.2021 को प्रतिवादी नटवरलाल अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रकरण की सुनवाई तिथि 08.02.2022 को प्रतिवादी जितेन्द्र सिंह ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेनट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीयों नटवरलाल अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 24.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हैं। निवेदन करते है कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

जितेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 24.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस वनस्पति ((रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार अमानक पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हैं। निवेदन करते है कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(7)प्रकरण में प्रतिवादियों द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीयों को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादियों द्वारा सबस्ट्रेण्ड व मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादियों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(8)प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 11:50 ए.एम. पर फर्मः–विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास डीडवाना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल,निवासी– नागौरिया मन्दिर के पास, डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल, वनस्पति आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के 500–500 ml पैकेट गता कार्टून मे आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था प्रत्येक कार्टनों में 30 पैकेट थे इनमें सबस्टेण्डर्ड, मिसब्राण्डेड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 300/–(अक्षरे तीन सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1444 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता नटवरलाल अग्रवाल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न.5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास डीडवाना जिला नागौर, विक्रेता मालिक नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल,निवासी–नागौरिया मन्दिर के पास, डीडवाना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अगले कार्य दिवस को एक नमूना पैकेट मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं. L.S/642/Act/2020/284 दिनांक 02.12.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample of "Vanaspati" (Ramdev Brand)" bearing Code No. and Sr. No. Q-1444 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Nagaur is **Substandard Food** as it does not meet to the prescribed Standards And Provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011. **It also Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act -2006.**

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर से खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता नटवरलाल अग्रवाल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (रामदेव ब्राण्ड) प्रिमियम का नमूना Q–1444 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्ट्रेण्ड व मिसब्राण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 51:– अवमानक खाद्य पदार्थ के लिए शास्ति।

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पाँच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 52:– मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति।

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(9)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/26–27 दिनांक 04.01.2021 से विनायक ट्रेडिंग कम्पनी डीडवाना को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/642/Act/2020/284 दिनांक 02.12.2020 तथा श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्टस21/21ए, कष्णा विहार 5, आकेड़ा डूगर रोड़नं. 18 वीकेआई एरिया–जयपुर को पत्रांक क्रमांक:चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2021/10–11 दिनांक 04.01.2021 द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या LS/642/Act/2020/284 दिनांक 04.01.2021 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्ट्रेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्ट्रेण्डर्ड व मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास,डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर व श्री लक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्टस, 21/21ए, कुष्णा विहार 5, आकेड़ा डूंगर रोड़ नं. 18 वीकेआई एरिया–जयपुर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के तहत प्रतिवादी नटवरलाल अग्रवाल पुत्र भागचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी–नागौरिया मन्दिर के पास, डीडवाना जिला नागौर, फर्म:–विनायक ट्रेडिंग कम्पनी नागौरिया मन्दिर के पास डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा प्रतिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुगनसिंह

निवासी:–68–A गणेश नगर प्रथम, बालाजी कॉलेज के पास, बैनाड रोड हरमाडा, अखेपुरा जयपुर। 302013, फर्म– श्रीलक्ष्मीनाथ फूड प्रोडक्टस21/21ए,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

कष्णा विहार 5, आकेड़ा डूगर रोड़नं.18 वीकेआई एरिया–जयपुर पर राशि रुपये 30000/–(अक्षरे तीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(10) आदेश दिनांक 22.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना